केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सूचना
केऔसुब में आरक्षक/अग्नि (पुरूष) की भर्ती–2024

ऑनलाईन आवेदन पत्रों के जमा करने की तारीख : 31/08/2024 से 30/09/2024
अंतिम तारीख : 30.09.2024 (समय 23:00 बजे तक)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पे **लेवल–3, (21,700 – 69,100/–)** में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय–समय पर देय सामान्य भत्तों सहित, **आरक्षक/अग्नि** के निम्नलिखित अस्थाई पदों को भरने के लिए **भारतीय पुरूष** नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति होने पर, वे केऔसुब अधिनियम और नियम के साथ–साथ केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली तथा बल के अन्य सदस्यों के लिए समय–समय पर लागू अन्य अधिनियमों और नियमों द्वारा अधिशासित होंगे। नियुक्ति होने पर वे, 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू **''राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नामक परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली''** के अनुसार पेंशन के लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया में, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी), ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड, के अंतर्गत लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :–

1.1 आवेदन पत्रों को केवल **''ऑनलाइन''** माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

1.2 शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज सत्यापन (डीवी), लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी), विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई)/पुनर्विलोकन चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) को निर्धारित और आयोजित किया जाएगा।

1.3 ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में होगी।

1.4 अपेक्षित पात्रता मानदंड का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन के समय किया जाएगा।

1.5 **वे अभ्यर्थी जो पीईटी/पीएसटी/डीवी और लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) में शामिल होने के लिए उनकी छंटनी लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनके राज्य/क्षेत्रवार और श्रेणीवार की जाएगी। डीएमई के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का लगभग 02 (दो) गुना होगी।**

1.6 **पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षा के पूरा होने के बाद, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को आंवटित रिक्तियों के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के संबंध में राज्यवार और श्रेणीवार मेरिट सूची अलग–अलग तैयार की जाएगी।**

1.7 विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार रिक्तियों को भरा जाएगा। इसके अलावा, आतंकवाद/नक्सल प्रभावित जिलों के लिए चिन्हित रिक्तियां केवल उन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

1.8 आतंकवाद/नक्सलवाद से प्रभावित जिलो की सूची **अनुलग्नक–X** पर उपलब्ध है।

1.9 चयनित किए गए अभ्यार्थियों का चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू.ओ. संख्या ए–VI-I/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई.–32012–एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1–2020 (पार्ट फाईल)/1166 दिनांक 31.05.2021 और सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा जारी एआर और सीएपीएफ में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा परीक्षण भर्ती के लिए समरूप दिशा–निर्देशों के अनुसरण में आयोजित किया जाएगा।

1.10 परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से सीआईएसएफ की वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर जारी किए जाएंगे और डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया पर अपडेट के लिए और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए ई–प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट के अवलोकन करने की सलाह दी जाती है।

1.11 भर्ती के किसी चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाना पद पर अंतिम चयन के रुप में नहीं माना जाएगा।

2. **वेतनमान :** पे–लेवल–3 (21,700–69,100 रू.)

3. **राष्ट्रीयता / नागरिकता :** अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

4. **रिक्तियां :–रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–**

क.सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र	अनारक्षित	ईडब्ल्यूएस	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
2	आंध्र प्रदेश	संपूर्ण राज्य	11	3	4	2	7	**27**
		नक्सल / आतंकवाद	2	1	1	0	1	**5**
3	अरूणाचल प्रदेश	संपूर्ण राज्य	4	1	0	10	0	**15**
4	असम	संपूर्ण राज्य	71	17	11	20	45	**164**
5	बिहार	संपूर्ण राज्य	26	6	9	0	15	**56**
6	चंडीगढ़	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
7	छतीसगढ़	संपूर्ण राज्य	6	1	2	4	1	**14**
		नक्सल / आतंकवाद	17	4	5	13	2	**41**
8	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
9	दिल्ली	संपूर्ण राज्य	4	1	1	1	2	**9**
10	गोवा	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	**1**
11	गुजरात	संपूर्ण राज्य	13	3	2	5	9	**32**
12	हरियाणा	संपूर्ण राज्य	6	1	3	0	4	**14**
13	हिमाचल प्रदेश	संपूर्ण राज्य	2	0	1	0	1	**4**
14	जम्मू एवं कश्मीर	संपूर्ण राज्य	28	7	5	7	18	**65**
15	झारखंड	संपूर्ण राज्य	7	2	2	5	2	**18**
		नक्सल / आतंकवाद	12	3	3	8	3	**29**
16	कर्नाटक	संपूर्ण राज्य	13	4	5	2	9	**33**
17	केरल	संपूर्ण राज्य	9	2	2	0	5	**18**
		नक्सल / आतंकवाद	8	2	5	0	4	**19**
18	लद्दाख	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	**1**
19	लक्षद्वीप	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
20	मध्य प्रदेश	संपूर्ण राज्य	16	4	6	7	6	**39**
		नक्सल / आतंकवाद	7	2	3	3	2	**17**
21	महाराष्ट्र	संपूर्ण राज्य	27	6	6	6	16	**61**
		नक्सल / आतंकवाद	5	1	1	1	3	**11**
22	मणिपुर	संपूर्ण राज्य	7	1	0	6	2	**16**
23	मेघालय	संपूर्ण राज्य	7	1	0	12	2	**22**
24	मिजोरम	संपूर्ण राज्य	2	1	0	5	0	**8**
25	नागालैंड	संपूर्ण राज्य	5	1	0	9	0	**15**
26	ओडीशा	संपूर्ण राज्य	9	3	3	5	3	**23**
		नक्सल / आतंकवाद	14	4	11	8	4	**41**
27	पुडुचेरी	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	**1**
28	पंजाब	संपूर्ण राज्य	6	2	4	0	3	**15**
29	राजस्थान	संपूर्ण राज्य	15	4	6	5	7	**37**
30	सिक्किम	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
31	तमिलनाडु	संपूर्ण राज्य	17	4	7	0	11	**39**
32	तेलंगाना	संपूर्ण राज्य	8	2	3	1	5	**19**
		नक्सल / आतंकवाद	2	1	2	0	2	**7**
33	त्रिपुरा	संपूर्ण राज्य	8	2	3	13	0	**26**
34	उत्तर प्रदेश	संपूर्ण राज्य	44	11	23	1	29	**108**
35	उत्तराखंड	संपूर्ण राज्य	3	0	1	0	1	**5**
36	पश्चिम बंगाल	संपूर्ण राज्य	20	5	11	2	11	**49**
		नक्सल / आतंकवाद	2	1	2	0	1	**6**
		कुल	**466**	**114**	**153**	**161**	**236**	**1130**

(संक्षिप्ताक्षर : यूआर – अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एससी – अनुसूचित जाति, एसटी – अनुसूचित जनजाति, ओबीसी – अन्य पिछड़ा वर्ग)

4.1 रिक्तियां सम्भावित हैं और प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी समय बढ़ अथवा घट सकती हैं। रिक्तियों की संख्या में कोई भी परिवर्तन सीआईएसएफ की वेबसाईट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर सूचित किया जाएगा।

4.2 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए आरक्षित हैं। यदि उपयुक्त ईएसएएम अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो ईएसएम के लिए आरक्षित रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के गैर ईएसएम अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

4.3 चूंकि रिक्तियों को राज्यों/संघशासित प्रदेश के अनुसार चिन्हित किया गया है। अतएव अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाए गए राज्य/संघ शासित प्रदेश का 'अधिवासी/स्थायी आवास प्रमाण पत्र' (पीआरसी) प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। ऐसा न किए जाने पर उनकी पात्रता रद् कर दी जाएगी और उन्हें भर्ती के अगले चरण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी इस आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य के द्वारा जारी अधिवासी/स्थायी आवास प्रमाण–पत्र (पीआरसी) प्रस्तुत करता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय राज्य में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र को बहुत ही सावधानी से भरना चाहिए।

4.4 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारत अथवा भारत से बाहर सेवा करनी पड सकती है।

4.5 पद वर्दीधारी हैं और ये पूर्णतः अस्थायी है परंतु इन्हें स्थायी किया जा सकता है।

4.6 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध है। किसी आरक्षित श्रेणी (ईडब्लूएस/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थी उस श्रेणी में रिक्ति की अनुपलब्धता के अधीन अनारक्षित श्रेणी (यूआर) में आवेदन कर सकते हैं बशर्ते अनारक्षित श्रेणी (यूआर) के लिए लागू नियम और शर्तें जैसेः– आयु, कद, सीना आदि को पूरा करते हों।

4.7 **कोई प्रतीक्षा/आरक्षित सूची रखी/तैयार नहीं की जाएगी।**

5. **शैक्षणिक अर्हता**

5.1 अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले **विज्ञान विषय के साथ** मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

6. **आयु सीमाः**

6.1 ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि **(अर्थात 30.09.2024)** को 18 से 23 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म **01. 10.2001** से पहले और **30.09.2006** के बाद नहीं होना चाहिए।

6.2 विभिन्न श्रेणियों के लिए उपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है :–

क.सं.	श्रेणी	उपरी आयु सीमा के बाद अनुमत आयु छूट
i)	अ.जा./अ.ज.जा. (एससी/एसटी)	5 वर्ष
ii)	अ.पि.व. (ओबीसी)	3 वर्ष
iii)	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि अर्थात् ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के पश्चात् 3 वर्ष।
iv)	1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के बच्चे और आश्रित।	अनारक्षित/ईडब्लू एस – 5 वर्ष अ.पि.व. – 8 वर्ष अ.जा/अ.ज.जा – 10 वर्ष

6.3 अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि केवल मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण–पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि और नाम को ही आयु और नाम निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। जन्म तिथि अथवा नाम में किसी परिवर्तन के लिए किसी तदनुरूपी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.4 भूतपूर्व सैनिक अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण के लाभों को लेने के पश्चात नियमित आधार पर सरकार के तहत सिविल साइड में पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे ईएसएम श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट के पात्र नहीं हैं। तथापि, वे तदनुरूपी नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं यदि नागरिक नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उन्होंने संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उन्होंने डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014–स्थापना (रेस) दिनांक

14.08.2014 में यथाउल्लिखित प्रारंभिक सिविल नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन पत्रों के दिनांकवार विवरण के बारे में स्वघोषणा/वचनबद्धता प्रदान की हो।

6.5 सशस्त्र बल में एक भूतपूर्व सैनिक की ''कॉल अप सेवा'' को आयु में छूट के प्रयोजन के लिए सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रुप में माना जाएगा।

6.6 संघ की तीनों सशस्त्र बलों में से किसी भी सेवा कर्मी को आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से पूर्व–सैनिक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, उसे आवेदन जमा करते समय पहले से ही पूर्व–सैनिक की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। उसे सक्षम प्राधिकरण से दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करके यह प्रमाणित करना होगा कि वह सशस्त्र बलों के साथ निर्धारित अवधि पूरी करेगा, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर होगी।

नोट–। वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं की है वे इन पदों के लिए पात्र नहीं होगें और उन्हें इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

7. **''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है;**

(i) 'जिसने भारतीय संघ की नियमित थलसेना, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी में सेवा की हो।

(a) जो उक्त सेवा से पेंशन प्राप्त होने पर नियोक्ता द्वारा या स्व अनुरोध पर ऐसी सेवा से कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिया गया हो, अथवा

(b) जो रक्षा सेवा से चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हों, अथवा

(c) जो स्थापना में कमी होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों, अथवा;

(ii) जो ऐसी सेवा से अनुबंध की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद, उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामतः निरन्तर सेवा वाले अथवा अनिरंतर अर्हक सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं।

(iii) ''सेना डाक सेवा'' के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो।

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए ''सेना डाक सेवा'' में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों।

(v) ''क्षेत्रीय सेना'' कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता।

(vi) चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त ।

(vii) संघ की सेनाओं में सेवारत कार्मिक, जो सेवा से सेवानिवृति के पश्चात् भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे, उन्हें अनुबंध की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने के एक वर्ष पहले पुनर्नियोजन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी और वे भूतपूर्व सैनिक को उपलब्ध सभी छूटों का लाभ उठा पाएंगे। परन्तु उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ की सेनाओं में अनुबंध की विशिष्ट शर्तों को पूरा न कर लें।

(viii) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों/पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट/आरक्षण देय नहीं है। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

(a) **बच्चों से तात्पर्य :–**
पुत्र (गोद लिए गए पुत्र सहित) अथवा
पुत्री (गोद ली गई पुत्री सहित)।

(b) **परिवार के आश्रित सदस्यों से तात्पर्य:**
पति अथवा पत्नी अथवा अविवाहित पीड़ित के मामले में बच्चे अथवा भाई अथवा बहन जो उस पीड़ित पर दंगों में मारे जाने के समय पूर्णतया आश्रित थे वे पात्र होंगे। इस श्रेणी में उपरी आयु में छूट के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को संबंधित जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट जहां पीड़ित व्यक्ति मारा गया था, से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ix) **चिकित्सा श्रेणी : सेवा से मुक्ति के समय** "A" 'AYE' अथवा 'SHAPE-I' होनी चाहिए ।

(x) **सेवा मुक्ति के समय चरित्र** : अनुकरणीय / बहुत अच्छा।

8. **<u>प्रमाणन की प्रकिया और प्रमाण–पत्रों का प्रारूप :</u>**

8.1 वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण–पत्रों को दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज सत्यापन के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी। प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस अधिसूचना के साथ संलग्न किए गए हैं।

8.2 अभ्यर्थियों को उनके संबंधित राज्य / संघ शासित प्रदेश में भर्ती हेतु, उनकी अधिवासी स्थिति सिद्ध करने के लिए संबंधित राज्य / संघ शासित प्रदेश द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध **<u>अधिवासी / स्थायी आवास प्रमाण पत्र (पीआरसी)</u>** के प्रस्तुत करने पर विचार किया जाएगा। ऐसा न कर पाने पर उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी। अधिवासी / पीआरसी प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाए गए राज्य / संघ शासित प्रदेश के होने चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी।

8.3 **अभ्यर्थी के अधिवासी राज्य के अलावा जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। जाति और अधिवासी प्रमाण पत्र उसी राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।**

8.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी के पास एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने पर यह विकल्प रहेगा कि वे मूल राज्य में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं अथवा स्थानांतरित राज्य में अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में बैठना चाहते हैं। ऐसे विकल्प को अभ्यर्थी को अपने ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में भरना होगा। ऐसे विकल्प को बदलने का अनुरोध आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात नहीं किया जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण के लाभ लेने का विकल्प चुनता है तो उसे अपने आवेदन प्रपत्र में अपने मूल जिले एवं राज्य के साथ–साथ अपने वर्तमान अधिवास के जिले एवं राज्य को भी दर्शाना होगा और उसकी अभ्यर्थिता मूल राज्य से मानी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को मूल राज्य से अधिवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8.5 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी को यह अवश्य सुनिश्चत करना चाहिए कि वह जाति / समुदाय प्रमाण पत्र रखता है और वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036 / 2 / 2013–स्था (रेस) दिनांक 30.05.2014 के अनुसरण में एक निर्णायक तिथि अर्थात् ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है।

8.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाह रहे अभ्यर्थी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास ''आय और परिसम्पति प्रमाण पत्र'' है जो कि वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए वैध है और इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039 / 1 / 2019–स्था (रेस) दिनांक 31.01.2019 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए आय के आधार पर जारी किया गया है।

8.7 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का दावा करने की निर्णायक तिथि ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

8.8 उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता के सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी यदि वे उनके अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का धोखे से दावा करते हैं और अन्य लाभ लेना चाहते हैं।

8.9 चूंकि असम राज्य अधिवासी प्रमाण पत्र / स्थायी आवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी नहीं करता है, असम राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों को उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों से उनकी आवासीय स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा।

8.10 पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) जो कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में रह रहे हैं परंतु जिन्हे केन्द्र शासित प्रदेश के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें जम्मू एवं कश्मीर राज्य और लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश के नामित प्राधिकारी से अधिवासी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की शर्त के बिना भर्ती किया जाएगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों को **अनुलग्नक–VII** के अनुसार डब्ल्यूपीआर के लिए जन्म / पहचान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

9. **आवेदन कैसे करें :–**

9.1 आवेदन पत्रों को केऔसुब की वेबसाईट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर ऑनलाईन तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विस्तृत दिशा–निर्देशों के लिए, कृपया इस सूचना के **अनुलग्नक–I** और **अनुलग्नक–II** को देखें। **'एक बार पंजीकरण'** के नमूना प्रपत्र और ऑनलाईन **'आवेदन प्रपत्र'** क्रमशः **अनुलनक–I** और **अनुलनक–II** के रूप में संलग्न हैं। आवेदन का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है।

9.2 **ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित होगा :–**

- **फोटोग्राफ अपलोड करना** – जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (**अर्थात परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं हो)**। फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। **जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे।**
- **हस्ताक्षर अपलोड करना** – जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**
- **दस्तावेजों को अपलोड करना** – अभ्यर्थी को अपनी आयु और शैक्षणिक अर्हता (अर्थात मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र) के संबंध में संगत दस्तावेजों **(पीडीएफ प्रारूप)** की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करना अपेक्षित होगा। मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र के अलावा अन्य दस्तावेजों को अपलोड करना या दूसरों के दस्तावेजों को अपलोड करना पूर्णतः खारिज कर दिया जाएगा।

9.3 ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **30.09.2024 (सायं 23:00 बजे)** है।

9.4 **अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और उन्हें अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित विच्छेदता/लॉग इन न होना अथवा लॉग इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार नही करना चाहिए।**

9.5 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र में प्रत्येक भाग में सही विवरण भरे हैं।

9.6 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई–मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर ही भरें क्योंकि अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचना ई मेल अथवा एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।

9.7 अभ्यर्थी को केवल एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति है। इसलिए अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय उचित ध्यान रखना चाहिए। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन प्रपत्र भरता है तो उसके द्वारा सबसे पहले भरे गए प्रपत्र को मान्य किया जाएगा और उसके बाद के सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

9.8 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में मुद्रित तिथि के साथ स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करें, जो तीन महीने से अधिक पुरानी न हो।

10. **आवेदन शुल्क :**

10.1 देय शुल्क : रूपए 100/– (रूपए एक सौ मात्र)

10.2 आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

10.3 शुल्क को डेबिट अथवा केडिट कार्डो और यूपीआई का प्रयोग करते हुए नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। उपरोक्त दर्शाए गए माध्यमों के अलावा भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10.4 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान **30.09.2024 (23:00 बजे)** तक किया जा सकता है। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान एसबीआई की शाखाओं में कार्य घंटों के दौरान बैंक में **02.10.2024** तक नकद रूप में कर सकते है, बशर्ते उनके द्वारा चालान **30.09.2024 (23:00 बजे)** से पहले जेनरेट कर दिया गया हो।

10.5 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

10.6 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और पूर्णतः खारिज कर दिया जाएगा। इस तरह की अस्वीकृति के खिलाफ किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क जमा कर दिया गया है।

10.7 भुगतान से संबंधित सेवा शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जाएगा।

11 आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो (10.10.2024 से 12.10.2024) 23:00 बजे

11.1 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, सीआईएसएफ अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही/संशोधित करने के लिए 3 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित सुधार/परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

11.2 एक अभ्यर्थी को 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को केवल **एक बार** संशोधित/सही करने और फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रपत्र में कोई और सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.3 केवल उन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पूर्ण ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, जो भी लागू हो, निर्दिष्ट अवधि के भीतर सीआईएसएफ द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

11.4 सीआईएसएफ आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए 200 रुपये का एक समान सुधार शुल्क लगाएगा। सुधार शुल्क सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा चाहे उनकी श्रेणी कोई भी हो।

11.5 सुधार शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट या क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का उपयोग करके किया जा सकता है।

11.6 एक बार भुगतान किए गए सुधार शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

11.7 आवेदन सुधार शुल्क की प्राप्ति के बाद, नवीनतम संशोधित/सही आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पिछले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।

11.8 यदि लागू सुधार शुल्क सीआईएसएफ को समय से प्राप्त नहीं होता हैं, तो केवल पहले से जमा किया गया आवेदन ही वैध माना जाएगा।

11.9 **सुधार किया हुआ आवेदन प्रपत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह जांचना होगा कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध जैसे डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ इत्यादि पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे पूर्णत खारिज कर दिया जाएगा।**

12. परीक्षा में प्रवेश :

12.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के जवाब में अंतिम तिथि और समय तक आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें पीईटी/पीएसटी/दस्तावेज सत्यापन में बुलाने के लिए ई–प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार, योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए ई–प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

12.2 भर्ती के किसी भी चरण के लिए एडमिट कार्ड अंतिम चयन के रुप में नहीं माना जाएगा।

12.3 विभाग दस्तावेज सत्यापन के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जांच करेगा। इस प्रकार, अंतिम चयन तक अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की जांच कर लेनी चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

12.4 पद के लिए अंतिम चयन लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर होगा, जो शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा और परीक्षा की सूचना में निर्धारित अन्य शर्तों में अर्हता प्राप्त करने के अधीन होगा.

12.5 परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन तरीके से सीआईएसएफ की वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in के माध्यम से जारी किए जाएंगे और डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को इसलिए सलाह दी जाती है कि वे सीआईएसएफ की वेबसाइट को नियमित रूप से विजिट करते रहें जिससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया पर अपडेट मिलता रहे।

12.6 अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपने नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.7 दस्तावेज सत्यापन/पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को सीआईएसएफ की वेबसाईट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर अग्रिम उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/भर्ती केंद्र पर ई–प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा।

12.8 वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in से ई–प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) या डीएमई/आरएमई, जो भी चरण लागू हो, से कम से कम एक सप्ताह पहले सीआईएसएफ से संपर्क करना चाहिए। एडमिट कार्ड प्राप्त न होने की स्थिति में अभ्यर्थी सीआईएसएफ हेल्पलाइन नंबर 011–24366431/24307933 (केवल कार्य दिवसों में 1000 से 1800 बजे) पर संपर्क कर सकते हैं।

12.9 प्रवेश पत्र के अलावा दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली–भांति प्रिन्ट की हुई हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी फोटो वाले पहचान पत्र की भली भांति प्रिंट की गई प्रतियां पहचान के उद्देश्य के लिए लानी होंगी।

12.10 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी पहचान के लिए अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएससी/आईसीएसई/राज्य बोर्डो द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.11 **ई–प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को भर्ती प्रकिया के समय लाना होगा।**

13 भर्ती प्रकिया :–

13.1 **शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)/दस्तावेज सत्यापन (डीवी)** : सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के अनुरूप अंतिम तिथि और समय तक खुद को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और सही पाए जाते हैं उन्हें पीईटी/पीएसटी/डीवी में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और दस्तावेज सत्यापन(डीवी) विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच दस्तावेज़ सत्यापन(डीवी) के समय की जाएगी। इसलिए, पीईटी/पीएसटी/डीवी के लिए उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे इस नोटिस में निर्धारित अपनी पात्रता को सत्यापित करें। जो अभ्यर्थी हाइट बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं, उन्हें पीएसटी से पहले पीईटी (दौड़) के बाद बायोमेट्रिक पंजीकरण (बाएं अंगूठे का निशान (एलटीआई)/दाहिने अंगूठे का निशान (आरटीआई)/उंगलियों का निशान) से गुजरना होगा। पीईटी (दौड़) उत्तीर्ण करने के बाद और पीईटी/पीएसटी/डीवी बोर्डों द्वारा पीएसटी से पहले किसी भी छूट अर्थात् आयु, कद और सीना माप के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी। पीएसटी में कद, सीना और वजन का माप शामिल होगा। अभ्यर्थी की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच पीएसटी के बाद की जाएगी।

13.1.1 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को पीईटी से छुट होगी। तथापि, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को केवल कद, सीना और वजन के माप की रिकार्डिंग के लिए पीएसटी में शामिल होना होगा। पीएसटी माप के आधार पर उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी आयोजित नहीं की जाएगी। तथापि, उन्हें चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

13.1.2 **शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)**: अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पुरी करनी होगा।

13.1.3 **शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)** – वे अभ्यर्थी जो हाईट बार परीक्षा और पीईटी (दौड़) में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना और वजन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। पद के लिए शारीरिक मानक निम्नानुसार हैं :–

i) कद –170 सेमी।

ii) सीना – 80–85 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)

iii) अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शारीरिक मानकों में अनुमत छूट निम्नानुसार है:–

निम्नलिखित हेतु छूट	**कद**	**सीना**
क) गढ़वाल, कुमाउं, हिमाचल प्रदेश, **गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर की कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी।	165 सेमी	78–83 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)

**दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित "मौउज़ा" उप प्रभाग शामिल हैं:–

(1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग–1 (10) पंतापति जंगल–1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट–2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक पहाड़ी जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा पेंगा (18) नाईपेनिया।

ख) मिजो और नागा सहित ट्राइबल अथवा आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी।	162.5 सेमी.	77–82 सेमी (05 सेमी के न्यूनतम फुलाव)

13.1.4 अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए ऊपर उल्लिखित कद और सीना (जैसा भी मामला हो) में छूट केवल सक्षम प्राधिकारियों से **अनुलग्नक–VI** में निर्धारित प्रोफार्मा में पीईटी/पीएसटी/डीवी के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य होगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

13.1.5 जिन अभ्यार्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात् कद और सीने में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो, पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पीईटी (दौड़) के लिए कोई अपील नहीं होगी।

13.1.6 पीईटी/पीएसटी में कोई अंक नहीं होगे लेकिन यह क्वालीफाईग प्रकृति का होगा।

13.1.7 **<u>भार</u>**ः चिकित्सा मानकों के अनुसार कद और भार के अनुपात में होगा। शारीरिक माप के समय भार दर्ज किया जाएगा लेकिन भार के कारण फिटनेस पर निर्णय चिकित्सा परीक्षण के दौरान ही लिया जाएगा।

13.1.8 **दस्तावेज सत्यापन :–**

पीईटी/पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जो अभ्यार्थी अपेक्षित मुल विवरण/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहेगे। उन्हे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेज लाने होंगे।

1) मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र उम्र, नाम और शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए।
2) यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो आवश्यक अर्हताओं में समकक्ष खंड के संबंध में दावा किए गए प्राधिकारी (संख्या और तारीख के साथ) को इंगित करते हुए दावा किया गया आदेश/पत्र।
3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी)।
4) आरक्षण/आयु में छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों से नोटिस के **अनुलग्नक – III**, **अनुलग्नक – IV** और **अनुलग्नक – V** में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो)।
5) उन उम्मीदवारों से प्रमाण पत्र जो नोटिस के **अनुलग्नक – VI** में निर्धारित कद/छाती माप में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं।
6) इस अधिसूचना के पैरा –6.2 के तहत श्रेणी (iv) में उल्लिखित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र।
7) पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी द्वारा पैदाइस/पहचान प्रमाण पत्र नोटिस के **अनुलग्नक–VII** के निर्धारित फार्मेट में ।
8) सेवारत रक्षा कर्मी **अनुलग्नक–VIII** में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण पत्र।
9) पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से **अनुलग्नक–IX** में निर्धारित प्रारूप में वचनबद्धता।
10) अभ्यर्थियों के दो पासपोर्ट आकार के हाल के फोटो और एक फोटो जिसमें पहचान प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो आईडी कार्ड हो।
11) **यह पुनः दोहराया जाता है कि शिक्षा/जाति/भूतपूर्व सैनिक/श्रेणी आदि के प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किए गए किसी दावे का दस्तावेज सत्यापन के समय या भर्ती के किसी भी चरण में प्रमाण पत्र/दस्तावेजों द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**

13.2 **ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा :–**

13.2.1 पीईटी/पीएसटी/डीवी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत होने वाली लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगीः–

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि/समय सीमा
भाग–ए	सामान्य बुद्धिमता और तर्कशक्ति	25	25	120 मिनट
भाग–बी	सामान्य ज्ञान और जागरूकता	25	25	
भाग–सी	प्रारंभिक गणित	25	25	
भाग–डी	अंग्रेजी/हिंदी	25	25	

13.2.2 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा केवल ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएगी। कोई नाकारात्मक अंकन नहीं होगा।

13.2.3 परीक्षा की तिथियों की सूचना अभ्यर्थियों को केवल सीआईएसएफ की वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in के माध्यम से दी जाएगी।

13.2.4 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.2.5 लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) की संभावित उत्तर कुंजी लिखित परीक्षा के बाद सीआईएसएफ की वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी देख सकते है और प्रति प्रश्न 100 रूपये के भुगतान पर निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते है। किसी अन्य मोड जैसे पत्र, आवेदन आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजी को अंतिम रुप देने से पहले विशेषज्ञों के पैनल द्वारा उत्तर कुंजी के बारे में अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और इस संबंध में विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम होगा।

13.2.6 लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) के प्रश्न 12वीं कक्षा **(विज्ञान विषय)** के स्तर के होंगे।

13.2.7 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में कैलकुलेटर और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उन्हें परीक्षा हॉल/लैब के अंदर इनको नहीं लाना चाहिए।

13.2.8 यदि लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) दो या दो से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा और इस तरह से प्राप्त सामान्यीकृत अंको का उपयोग अंतिम योग्यता और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

13.2.9 **सभी अभ्यर्थियों की पहचान लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) से पहले पीईटी/पीएसटी/डीवी के समय पंजीकृत बायोमेट्रिक प्रामाणिकताओं (क्रेडेंशियल्स) के साथ सत्यापित की जाएगी।**

13.3 **चिकित्सा परीक्षाः– पीईटी/पीएसटी/डीवी और लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में राज्यवार/क्षेत्रवार और श्रेणीवार के तहत विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) हेतु चयनित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का लगभग 02 (दो) गुना होगी।** चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यूओ संख्या ए. VI–1/2014–भर्ती(एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई. –32012–एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1–2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी।

टैटूः–टैटू की अनुमति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड तय किए गए हैंः–

(क) विषय–वस्तुः– एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इस प्रकार धार्मिक प्रतीकों या आकृतियों और नाम को दर्शाने वाले टैटु की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा की भारतीय सेना में अनुसरण किया जाता है।

(ख) स्थानः– शरीर के पारंपरिक स्थलों पर चिह्नित टैटू जैसे कि प्रकोष्ठ का आंतरिक पहलू, लेकिन केवल बाएं अग्रभाग, गैर–सलामी अंग या हाथों के पीछे होने की अनुमति है।

(ख) आकारः– टैटू का आकार शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के 1/4 से कम होना चाहिए।

14. **चयन का तरीका :**

14.1 भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) शामिल होगी।

14.2 लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अर्हता प्राप्त करने तथा अगले चरण में प्रवेश हेतु अंकों का न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार होगाः

अना./ईडब्ल्यूएस/भू.पू.सैनिक : 35 %

अजा./अजजा./अपवि. : 33 %

नोट–1 अर्हक अंक का अर्थ है कि योग्यता अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा, भले ही रिक्तियां अधूरी रह जाएं। अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में योग्यता के आधार पर और प्रत्येक राज्य/श्रेणी को आबंटित रिक्ति के अनुसार के कट ऑफ अंक के आधार पर अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

नोट–2 यदि लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) दो या दो से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा और इस तरह से प्राप्त सामान्यीकृत अकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

14.3 **<u>मेरिट लिस्ट</u> :– पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षा पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशं को आबंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्य और श्रेणीवार मेरिट सूची अर्थात् अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम को अलग से तैयार किया जाएगी।**

14.3.1 **बराबरी (टाई) के मामलों का निष्पादन** : लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अभ्यर्थियों के अंकों में बराबरी होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान दिए गए क्रम में एक के बाद एक, जब तक की टाई का समाधान नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके हल किया जाएगाः

1. बड़ी उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी;
2. आगे यदि कोई टाई हो तो, अभ्यर्थी के कद की तुलना करके हल किया जाएगा अर्थात् कद में लम्बे अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी;
3. यदि मामला अभी भी अनसुलझा रहता है, तो इसे अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता द्वारा हल किया जाएगा अर्थात ज्यादा शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी और;
4. यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो इसे नामों के वर्णानुक्रमिक क्रम का हवाला देकर हल किया जाएगा अर्थात जिस अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वर्णानुक्रम में पहले आता है, उसे वरीयता मिलेगी।

14.3.2 अभ्यर्थियों को एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की रिक्तियों के लिए और इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारीयों और दस्तावेज सत्यापन के समय अधिवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा। **अभ्यर्थियों को बहुत सावधान रहना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवासी राज्य और जिले के बारे में जानकारी प्रदान करते समय उचित अभ्यास करना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने के बाद अधिवासी राज्य और जिले के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र और दस्तावेज सत्यापन के समय उसके द्वारा जमा किए गए अधिवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिले और/या राज्य में कोई भिन्नता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उसे भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

14.3.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ–साथ बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, उन्हें समग्र मेरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार रिक्तियों की आरक्षित संख्या के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा।

14.3.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो छूट मानकों जैसे आयु सीमा, कद और सीना माप, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रदान की गई संख्या से अधिक अंक आदि, के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी योग्यता स्थिति के बावजूद ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के प्रति गिना जाना है। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, पूर्व सैनिकों की आयु में से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए अनुमत है और इस तरह की छूट को उम्र के संबंध में छूट मानकों के रूप में नहीं माना जाएगा।

14.3.5 अंतिम परिणाम सीआईएसएफ भर्ती वेबसाइट <u>https://cisfrectt.cisf.gov.in</u> पर प्रकाशित किया जाएगा।

नोट–I परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह **सुनिश्चित करना चाहिए। कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।** परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश **पूर्णतया अनंतिम** होगा, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि, सत्यापन पर, पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षा से पहले, उसके दौरान या बाद में किसी भी समय, यह पाया जाता है कि वे पात्रता शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता विभाग द्वारा तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

नोट–II यदि कोई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के दौरान या बाद में किसी भी समय अयोग्य पाया जाता है या तथ्यों को छिपाता हुआ पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

14.3.6 **चिकित्सा परीक्षाः– पीईटी/पीएसटी/डीवी और लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में राज्यवार/क्षेत्रवार और श्रेणीवार के तहत विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) हेतु चयनित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का लगभग 02 (दो) गुना होगी।** चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यूओ संख्या ए. VI–1/2014–भर्ती(एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई. –32012–एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए–1–2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी।

15 **<u>निर्णयः</u>** पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका (पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षण) मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. **अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश :**

16.1 **आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए।**

16.2 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम तिथि से पहले के दिनों के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने में असमर्थता/अक्षमता या विफलता की संभावना से बचा जा सके।

16.3 मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन पी ई टी/पी एस टी के समय किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों आदि की आवश्यकताओं को जांच ले और खुद को संतुष्ट कर ले कि वे पद के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

16.4 इस परीक्षा के नोटिस के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम या अन्य छूट जैसे आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं। जब प्रमाणपत्रों की प्रतियां मांगी जाएंगी, तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्र होने चाहिएं।

16.5 **एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति से संबंधित अभ्यर्थी को एक सूचित विकल्प बनाना होगा कि मूल राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है या प्रवास के राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होना है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इस तरह के विकल्प का प्रयोग करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद ऐसे विकल्प में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें आवेदन पत्र में वर्तमान अधिवास के जिले और राज्य के साथ–साथ अपने मूल जिले और राज्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे मामलों में उनकी अभ्यर्थिता पर मूल राज्य से विचार किया जाएगा।**

16.6 दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

16.7 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई–मेल पता और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि महत्वपूर्ण पत्राचार ई–मेल/एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है।

16.8 **देय शुल्कः** 100/– रुपये (केवल एक सौ रुपये)। आरक्षण के लिए योग्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के पात्र अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है।

16.9 अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम अपनी दसवीं के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिखें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता दस्तावेजों की जांच के बाद या फिर जब कभी नोटिस में आएगा तो रद्द कर दी जाएगी।

16.10 ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को दिनांकित फोटोग्राफ (इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 03 महीने से अधिक पुराना नहीं), हस्ताक्षर और आयु और शैक्षिक योग्यता (अर्थात् मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाणपत्र) के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी आवश्यक हैं।

16.11 **ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवासी राज्य और जिले के बारे में जानकारी प्रदान करते समय अभ्यार्थियों को सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने के बाद अधिवासी राज्य और जिले के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय उनके द्वारा जमा किए गए अधिवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिले और/या राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उनकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे की भर्ती प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

16.12 परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो पहला आवेदन मान्य होगा और उसके बाद के सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

16.13 धुंधली अथवा अस्पष्ट तस्वीर/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

16.14 अधूरी जानकारी/गलत जानकारी/ अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों की गलत प्रस्तुति/अहस्ताक्षरित/जहां देय हो, शुल्क के बिना प्रस्तुत किए गए आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

16.15 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह जांच लेना चाहिए कि फॉर्म के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है।

16.16 जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार माना जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए। 'आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

16.17 अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचान प्रमाणपत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ईएसएम डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला पहचान पत्र पहचान के उद्देश्य के लिए परीक्षा स्थल पर लाना चाहिए। **यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/ प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में समिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

16.18 किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

16.19 विभाग के पास विज्ञापन में कोई भी बदलाव करने या बिना कोई कारण बताए इसे रद्द करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार भिन्न–भिन्न हो सकती हैं।

16.20 अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।

16.21 यदि कोई अभ्यर्थी जानबूझकर सिर में चोट (उभार/सूजन) बनाता है या ऊंचाई का लाभ लेने के लिए अपने सिर पर पगड़ी पहनता है, तो ऐसे उम्मीदवार को भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।

16.22 पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी), डीएमई/आरएमई के लिए प्रवेश पत्र सीआईएसएफ की वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in पर जारी/अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से सीआईएसएफ की वेबसाइट https://cisfrectt.cisf.gov.in देखें।

16.23 यदि कोई अभ्यर्थी पीएसटी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/सहमत नहीं है, तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र में केवल पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पीईटी (दौड़) के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

16.24 यदि कोई अभ्यर्थी पीईटी के दौरान किसी शक्तिवर्धक दवा/ड्रग आदि के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।

16.25 अभ्यर्थी किसी भी जानकारी के लिए, जैसे आवेदन भरने, पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई है तो, केऔसुब के हेल्प लाइन नंबर 011– 24366431/24307933 (केवल कार्य दिवसों पर समय 1000 से 1800 बजे तक) पर संपर्क कर सकते हैं।

16.26 भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 2 से 3 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होकर आना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई भी टीए/डीए देय नहीं होगा।

16.27 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि सत्यापन के समय, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के पहले या बाद में या नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने/बल में शामिल होने के बाद भी, यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता/पद के लिए चयन रद्द कर दिया जाएगा।

16.28 परीक्षा में सफलता नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती जब तक की विभाग अनिवार्य समझी जाने वाली ऐसी जांच के बाद संतुष्ट ना हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

16.29 यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है तो उनकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।

16.30 यदि कोई भी अभ्यर्थी भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता हैं तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वे उपयुक्त कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगे।

16.31 सीआईएसएफ का प्रयास पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों की भर्ती करना है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे **"दलालों से सावधान रहें"।**

(ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया)

01. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I. एक बार पंजीकरण

II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना

02. भाग –1 (एक बार पंजीकरण): – अभ्यर्थी के लिए एक बार पंजीकरण एक स्थायी डेटाबेस होगा। सीआईएसएफ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन **'पंजीकरण फॉर्म'** और **'आवेदन पत्र'** भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। एक बार पंजीकरण के साथ आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज तैयार रखें:

क. मोबाइल नंबर

ख. ईमेल आईडी

03. पहली बार पंजीकरण कैसे करें :–

- सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.cisfrectt.cisf.gov.in पर लॉगिन करें।
- होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।
- नया पेज प्रदर्शित होगा। "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें।

04. **'एक बार पंजीकरण फॉर्म' भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:**

- कुछ महत्वपूर्ण विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के प्रासंगिक कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डेटा कॉलम के आंकड़ों में मेल नही है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक संकेत दिया जाएगा।
- अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं । यदि, मैट्रिक के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें।
- अपने पिता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दिया गया है।
- अपनी माता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में दिया गया है।
- अपनी जन्मतिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है।
- अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।
- अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें।
- अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी भरें। यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल–आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- 'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो 'फाइनल सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
- पुष्टि होने पर, आपका डेटा सहेज लिया जाएगा और आपकी पंजीकरण–संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
- अपनी पंजीकरण–संख्या का ''यूजरनेम'' के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए ''ऑटो–जेनरेटेड पासवर्ड'' का उपयोग करके लॉगिन करें।

5. **आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरा जाना चाहिए जैसा कि मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है। त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।**

Central Industrial Security Force
Ministry of Home Affairs
Govt. of India

Kindly verify your mobile number an

Basic Details

Name:*		Name as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. Do not use Mr./Ms./Shri etc. मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज किए गए नाम (श्री / श्रीमती / श्री आदि का उपयोग न करें।)
Verify Name:*		
Have you ever changed Name?*	○Yes ◉No	
New Name/Changed Name :		
Father's Name:*		Father Name as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. Do not use Mr./Shri etc. मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज किए गए पिता का नाम (श्री / श्री आदि का उपयोग न करें।)
Verify Father's Name:*		
Mother's Name:*		Father Name as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज किए गए माता का नाम (किसी भी उपसर्ग जैसे श्रीमती / एमआरएस का प्रयोग न करें आदि।
Verify Mother's Name:*		
Date of Birth:*	dd-mm-yyyy	Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certificate. मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि
Verify Date of Birth:*	dd-mm-yyyy	
Gender:*	◉Male ○Female ○Transgender	
Verify Gender:*	◉Male ○Female ○Transgender	
Enter letter as shown	6M9rvA refresh	

Submit Close

Central Industrial Security Force
Ministry of Home Affairs
Govt. of India

Kindly verify your mobile number and email-id for

Personal Details Form

Name:*	E
Changed Name:*	
Father's Name:*	R
Mother's Name:*	e
Date of Birth:*	2008-12-31
Gender:*	Male Female Transgender

Contact Details Form

Mobile Number:*	
Verify Mobile Number:*	
Email Id:* (Give valid Email ID. All future communication will be send on this Email ID.)	
Confirm Email Id:*	

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. understand that in the event of any informationbeing found false or incorrect at any stage my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

☐ I agree.

Enter letter as shown in the Image		RdQxeh refresh

Submit Close

अनुलग्नक–II

भाग–II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1.	**ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें :**
•	जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (अर्थात परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं हो)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे।
•	जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2.	पंजीकृत अभ्यर्थी अपने 'पंजीकरण–संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉग इन कर सकते हैं।
3.	सीआईएसएफ भर्ती की वेबसाइट अर्थात https://cisfrectt.cisf.gov.in पर लॉग इन करें और '**सीटी–फायर 2024**' टैब पर क्लिक करें।
4.	आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5.	नया पेज प्रदर्शित होगा, जहां अभ्यर्थी बटन पर क्लिक कर सकते हैं (आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें)।
6.	ऑनलाइन आवेदन के मूलभूत दिशा–निर्देशों को पढ़े और फॉर्म भरने के लिए जारी रखें बटन पर क्लिक करें।
7.	एक बार जब अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भर दिए हैं, तो उसे नीचे दो बटन मिलेंगे, अर्थात् 'सहेजें और पूर्वावलोकन और बंद करें', यदि अभ्यर्थी क्लोज बटन का उपयोग करता है, तो वह आवेदन पत्र से बाहर निकल जाएगा। कोई डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा।
8.	एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भरे जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और 'सहेजें और पूर्वावलोकन' पर क्लिक करें।
9.	विवरणों को ठीक से जांचें और 'फाइनल सबमिशन' बटन पर क्लिक करें यदि आप इसे स्वीकार करते हैं जो उसके द्वारा भरे गए सभी डेटा/विवरणों को सहेज लिया जाएगा या यदि आवश्यक हो तो एडिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके विवरण को संशोधित करें।
10.	अपना हाल का फोटोग्राफ (परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) जैसा कि ऊपर क्रम संख्या –1 (क) में निर्दिष्ट है।
11.	क्रम संख्या 1 (ख) में निर्दिष्ट अनुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
12.	ऊपर अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और जिस तारीख को फोटोग्राफ लिया गया है, उस पर स्पष्ट रूप से मुद्रित होना चाहिए।
13.	आयु और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सर्टिफिकेट की अपनी स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
14.	सभी आवश्यक दस्तावेज और चित्र अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।
15.	अब 'भुगतान' विंडो दिखाई देगी। जिन कर्मियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि आप शुल्क छूट के लिए पात्र हैं और उन्हें 'प्रिंट एप्लिकेशन' विकल्प मिलेगा।
16.	यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
17.	शुल्क भुगतान मोड विकल्प का चयन करके एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई शाखाओं में यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या नकद में शुल्क का भुगतान करें। यदि उम्मीदवार चालान विकल्प का चयन करता है, तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा चालान फॉर्म मिलता है। चालान फॉर्म प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार को निकटतम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में जाना चाहिए और शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद उम्मीदवार की औपचारिकता पूरी हो जाती है। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और शुल्क सीआईएसएफ को भेजेगा। इस प्रक्रिया में न्यूनतम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटों के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
18.	भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उम्मीदवार अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं।

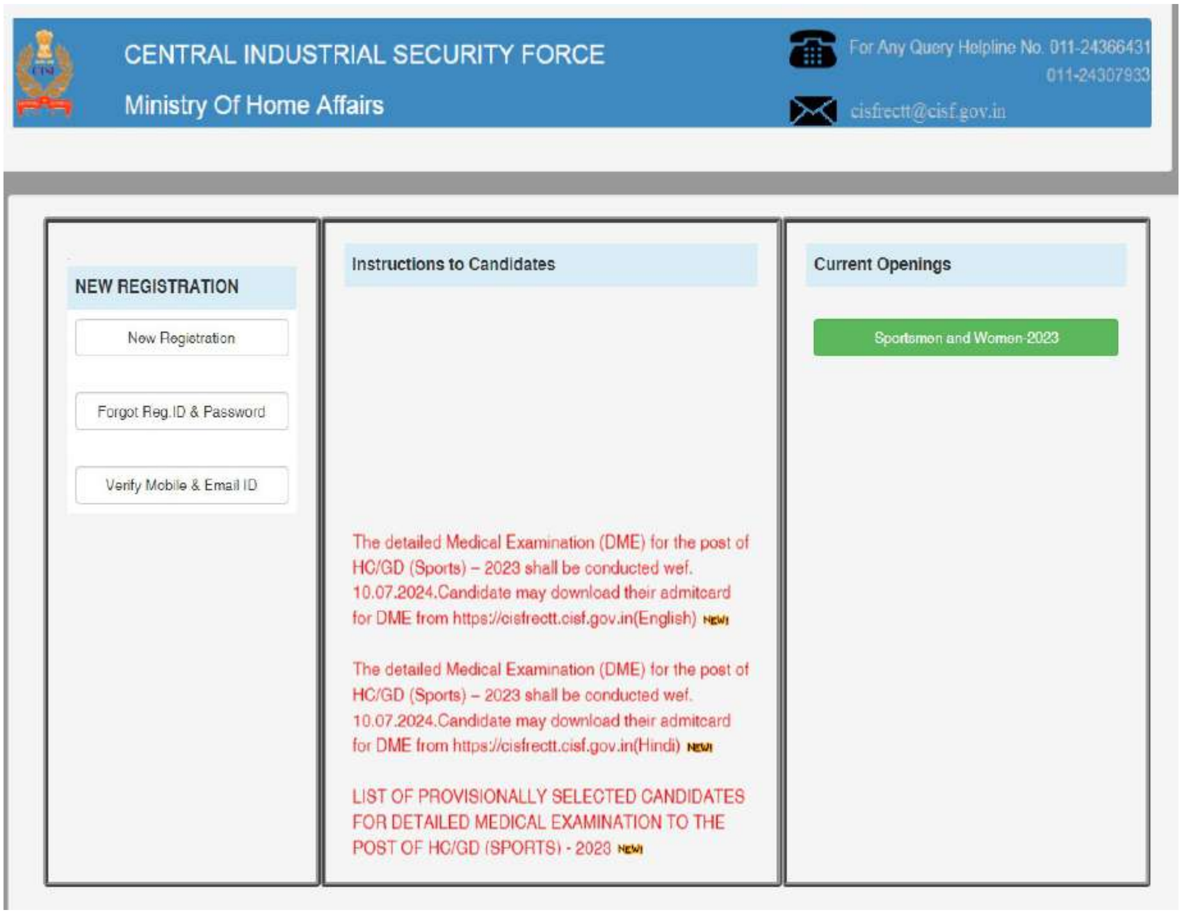
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
Ministry Of Home Affairs
For Any Query Helpline No. 011-24366431
011-24307933
cisfrectt@cisf.gov.in
NEW REGISTRATION
New Registration
Forgot Reg.ID & Password
Verify Mobile & Email ID
Instructions to Candidates
The detailed Medical Examination (DME) for the post of HC/GD (Sports) – 2023 shall be conducted wef. 10.07.2024.Candidate may download their admitcard for DME from https://cisfrectt.cisf.gov.in(English) NEW!
The detailed Medical Examination (DME) for the post of HC/GD (Sports) – 2023 shall be conducted wef. 10.07.2024.Candidate may download their admitcard for DME from https://cisfrectt.cisf.gov.in(Hindi) NEW!
LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES FOR DETAILED MEDICAL EXAMINATION TO THE POST OF HC/GD (SPORTS) - 2023 NEW!
Current Openings
Sportsmen and Women-2023

Central Industrial Security Force
Ministry of Home Affairs
Govt. of India
CONSTABLE-FIRE(MALE)-2024
Registration No:
Password
Enter letter as shown in the Image
hnXVDv
refresh
Submit

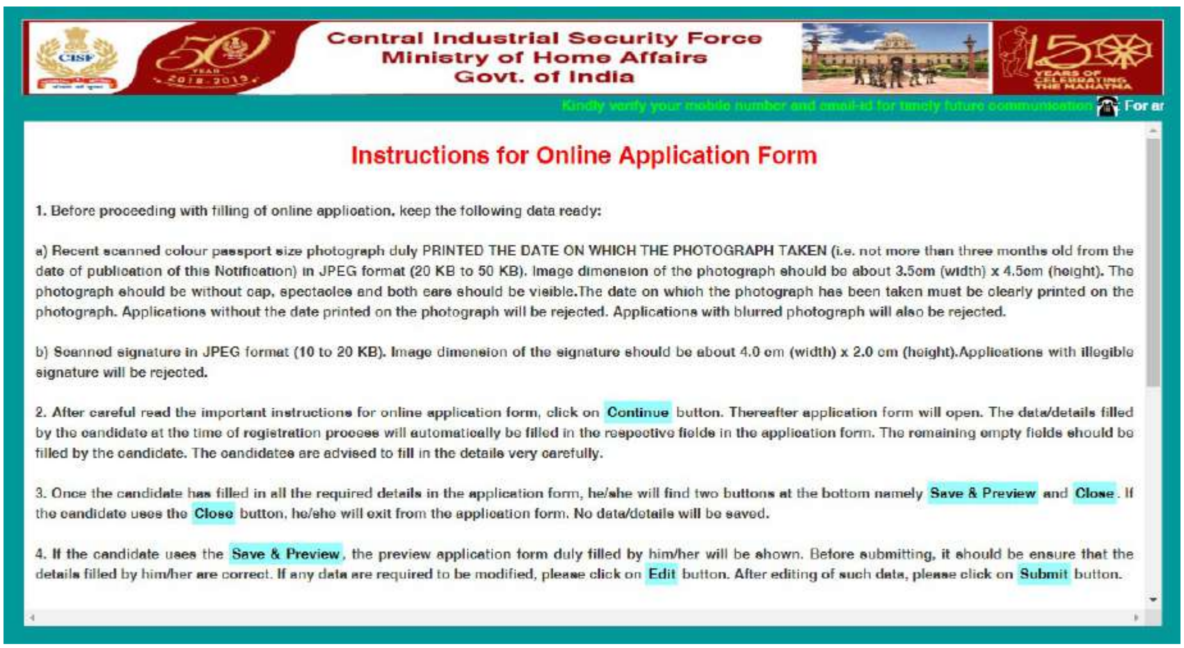

Instructions for Online Application Form

1. Before proceeding with filling of online application, keep the following data ready:

a) Recent scanned colour passport size photograph duly PRINTED THE DATE ON WHICH THE PHOTOGRAPH TAKEN (i.e. not more than three months old from the date of publication of this Notification) in JPEG format (20 KB to 50 KB). Image dimension of the photograph should be about 3.5cm (width) x 4.5cm (height). The photograph should be without cap, spectacles and both ears should be visible.The date on which the photograph has been taken must be clearly printed on the photograph. Applications without the date printed on the photograph will be rejected. Applications with blurred photograph will also be rejected.

b) Scanned signature in JPEG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height).Applications with illegible signature will be rejected.

2. After careful read the important instructions for online application form, click on **Continue** button. Thereafter application form will open. The data/details filled by the candidate at the time of registration process will automatically be filled in the respective fields in the application form. The remaining empty fields should be filled by the candidate. The candidates are advised to fill in the details very carefully.

3. Once the candidate has filled in all the required details in the application form, he/she will find two buttons at the bottom namely **Save & Preview** and **Close**. If the candidate uses the **Close** button, he/she will exit from the application form. No data/details will be saved.

4. If the candidate uses the **Save & Preview**, the preview application form duly filled by him/her will be shown. Before submitting, it should be ensure that the details filled by him/her are correct. If any data are required to be modified, please click on **Edit** button. After editing of such data, please click on **Submit** button.

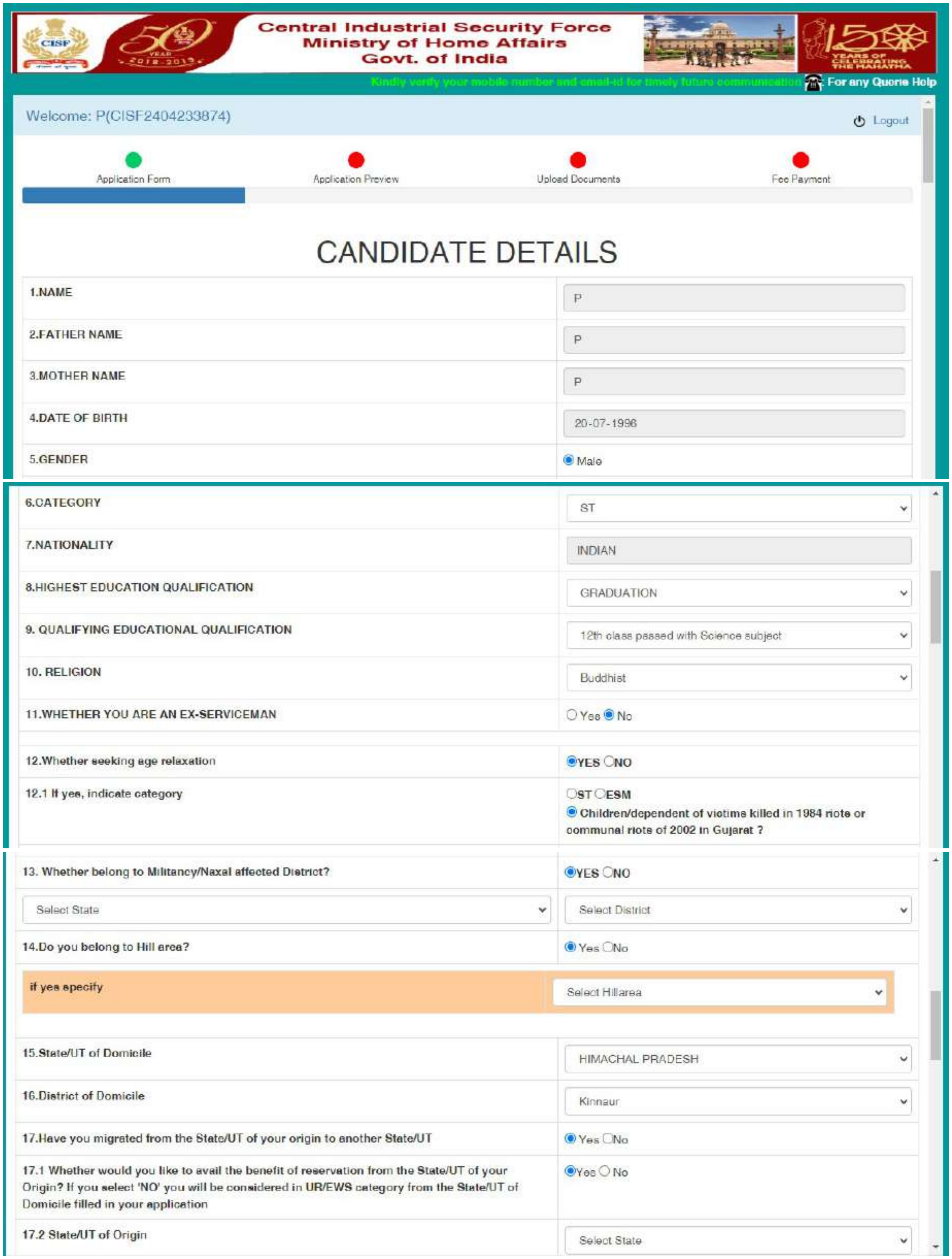

Central Industrial Security Force
Ministry of Home Affairs
Govt. of India

Kindly verify your mobile number and email-id for timely future communication For any Queries Help

Welcome: P(CISF2404233874) Logout

Application Form | Application Preview | Upload Documents | Fee Payment

CANDIDATE DETAILS

1.NAME	P
2.FATHER NAME	P
3.MOTHER NAME	P
4.DATE OF BIRTH	20-07-1996
5.GENDER	Male
6.CATEGORY	ST
7.NATIONALITY	INDIAN
8.HIGHEST EDUCATION QUALIFICATION	GRADUATION
9. QUALIFYING EDUCATIONAL QUALIFICATION	12th class passed with Science subject
10. RELIGION	Buddhist
11.WHETHER YOU ARE AN EX-SERVICEMAN	Yes No
12.Whether seeking age relaxation	YES NO
12.1 If yes, indicate category	ST ESM Children/dependent of victims killed in 1984 riots or communal riots of 2002 in Gujarat ?
13. Whether belong to Militancy/Naxal affected District?	YES NO
Select State	Select District
14.Do you belong to Hill area?	Yes No
if yes specify	Select Hillarea
15.State/UT of Domicile	HIMACHAL PRADESH
16.District of Domicile	Kinnaur
17.Have you migrated from the State/UT of your origin to another State/UT	Yes No
17.1 Whether would you like to avail the benefit of reservation from the State/UT of your Origin? If you select 'NO' you will be considered in UR/EWS category from the State/UT of Domicile filled in your application	Yes No
17.2 State/UT of Origin	Select State

17.3 District of Origin	Select district
18.Mark of Visible Identification 1)	K
2)	K
19. Permanent address Village/Ward	K
Post	K
State	DAMAN & DIU
District	DIU
Pincode	985458
☐ Same as permanent address	
20.Correspondence address Village/Ward	K
Post	K
State	DAMAN & DIU
District	DIU
Pincode	985458
21.a)Mobile	9407952890
22.Email	email@gmail.com
23.Date on which photograph has been taken	10-07-2024
24.Whether the date mentioned at S.No 23 is clearly printed on the photograph	○Yes ○No
25.Have you ever been convicted by any court of law or any other judicial Institution?	○ Yes ◉ No
26. Is there any case pending against you in any court of law?	○ Yes ◉ No
27. Has any FIR been lodged and case is pending against you?	○ Yes ◉ No
28. Was any FIR ever lodged against you in the past?	○ Yes ◉ No
29.Have you ever been dismissed from any service under the Central or State Govt?	○ Yes ◉ No
30.Have your services ever been terminated while on probation?	○ Yes ◉ No

☐After click on the submit button you can not change the information of the form which you have filled,therefore it is requested to you to check all the information properly before clicking on the submit button

Save & Preview | Close

Central Industrial Security Force
Ministry of Home Affairs
Govt. of India
Kindly verify your mobile number and email-id for timely future communication
For any Queries Helpline No. 011-24366431,011-243079
Application Form
Application Preview
Upload Documents
Fee Payment
1 Proof of Age
Choose File No file chosen
1.PDF Documents Only
2. Maximum file Size 1MB
Upload
No Document Uploaded
2 Educational Certificate (Matriculation/SSLC/10th Certificate)
Choose File No file chosen
1.PDF Documents Only
2. Maximum file Size 1MB
Upload
No Document Uploaded
3 Photo (Duly Dated on photograph Taken) (Not more than 3 months old from the date of publication of the Notification)
Choose File No file chosen
1.JPG/JPEG files Only
2. File size must be greater than 20KB and lessthan 50KB
Upload
No Photo Uploaded
4 Signature
Choose File No file chosen
1.JPG/JPEG files Only
2. File size must be greater than 10KB and less than 20KB
Upload
No Photo Uploaded
Save & Continue

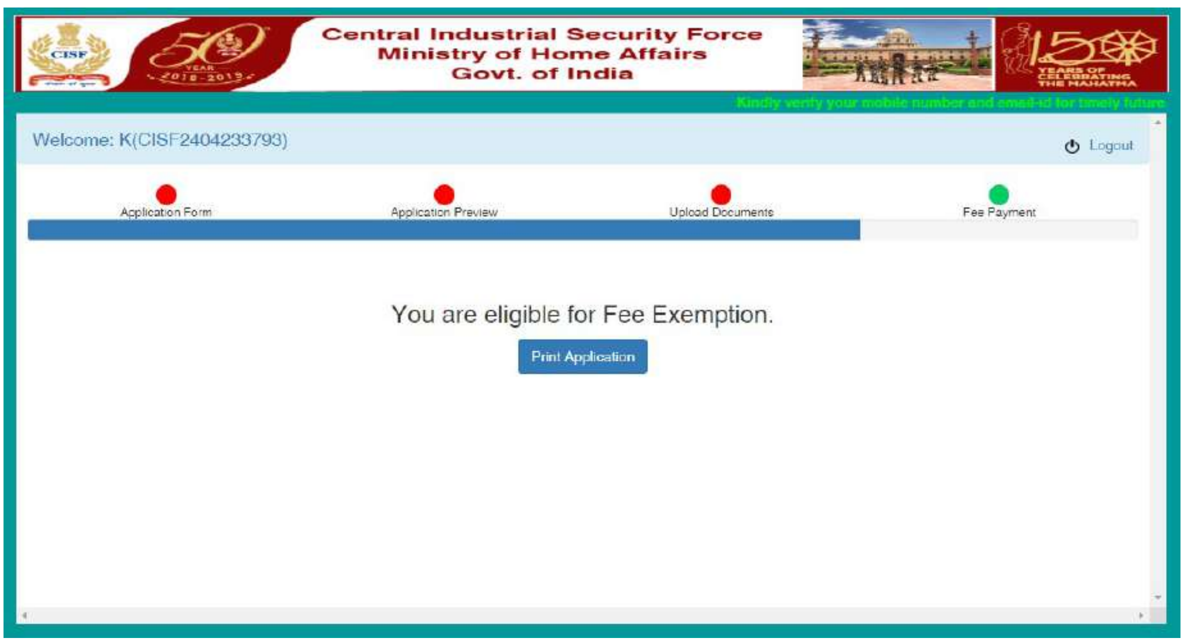
Central Industrial Security Force
Ministry of Home Affairs
Govt. of India
Kindly verify your mobile number and email-id for timely future
Welcome: K(CISF2404233793)
Logout
Application Form
Application Preview
Upload Documents
Fee Payment
You are eligible for Fee Exemption.
Print Application

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

अजा/अजजा प्रमाण प्रत्र का प्रारुप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* .... पुत्र/पुत्री श्री ....गॉव/नगर* .... जो जिला/खंड*.. ....राज्य/संध शासित क्षेत्र* ....जाति/जनजाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में की गई है :–

	''संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950..................................
	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 ....
	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) संघ शासित क्षेत्र आदेश, 1951*--------------------
	'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) संघशासित क्षेत्र आदेश, 1951*-------------------
	जैसा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियॉं (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित।
	'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 ....
	'संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976*
	'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
	'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
	'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
	'संवैधानिक (उतर प्रदेश) (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1967@
	'संवैधानिक (गोवा दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
	'संवैधानिक (गोवा दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
	'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
	'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
	'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
	'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
	'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
	संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991@
	'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996

% 2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में चले गए हों।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती' .... पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी' ....गांव/नगर''..............................जिला/खंड' ....राज्य/संधशासित क्षेत्र' ....जो कि ....जाति/जनजाति से संबंधित हों जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा दिनांक ....को जारी किया गया।

% 3 श्री/श्रीमती/कुमारी' .... और/अथवा/ उसका * (पुरुष/महिला) परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर* ....जिला/खंड*......................... राज्य/संघशासित क्षेत्र' ....में रहते हैं ।

स्थान........................		हस्ताक्षर..........................
दिनांक		''पदनाम................................ (कार्यालय की मुहर सहित)

*जो लागू न हो वे शब्द काट दिए जाएं।
@कृप्या राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें ।
% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्य रूप से निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

****जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।**

(I) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट
(II) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट
(III) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।
(IV) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में अभ्यर्थी और/अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते है।

टिप्पणीः– तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति के आवेदक **केवल राजस्व विभागीय अधिकारी द्वारा** जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री ,श्री. ....गांव/नगर......................................जिला/प्रभाग................................राज्य/संघ शासित क्षेत्र.... ....के ....समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या ....दिनांक....................... के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...और/अथवा उनका/उनके परिवार .... राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिला/प्रभाग.. में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों **(क्रीमी लेयर)** से संबंधित नहीं है।

जिलाधिकारी/उपायुक्त इत्यादि

दिनांक..................................... (कार्यालय की मोहर सहित)

---

*प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।
**समय समय पर संशोधित।

टिप्पणी :– यहां ''सामान्य शब्द'' का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

....सरकार
(प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति का प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र सं.. दिनांक..........................

..वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री/पत्नी.. ग्राम/गली..डाकघर ....जिला..पिन कोड.................... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उसके 'परिवार'** की कुल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष ....के लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। उसके (पुरुष/महिला) परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति*** नहीं है :–

I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.......................................जो..जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित.........................
नाम...
#पदनाम...

*** टिप्पणी** : 1. आय सभी स्त्रोंतो अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि को कवर करती है।

****टिप्पणी** : 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके (पुरुष/महिला) माता–पिता और भाई–बहन 18 वर्ष से कम आयु के साथ–साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

*****टिप्पणी** : 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थलों अथवा स्थानों/शहरों में ''परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है।

 # आय और संपत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची :–

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए और
(iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते है।

कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....पुत्र ....गांव .... तहसील/तालुका....................................जिला.....................राज्य...............के स्थायी निवासी हैं।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि :–

- ❖ गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अभ्यर्थी।
- ❖ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले अभ्यर्थी और दार्जिलिंग जिले के तीन उप–प्रभागों अर्थात् दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सियांग में शामिल गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थियों और इन जिलों के निम्नलिखित ''मौजा'' उप–प्रभाग शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना पार्ट–ई (10) पंतपति वन–ई (11) महानदी वन (12) चंपसारी वन (13) सालबारी छट भाग–।। (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया।

स्थान :.. हस्ताक्षर ....
दिनांक:.. जिला मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

❖ 'जो लागू न हो उन्हें काट दें।'

(पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए जन्म/पहचान प्रमाण पत्र)

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार...का कार्यालय

फोटो

जम्मू और कश्मीर/लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेशों में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री, पत्नी श्री ....पूर्व में गांव..............................तहसील.......................................जिला......................................, भारत विभाजन से पूर्व (अब पाकिस्तान) के निवासी थे। वर्तमान में मकान संख्या ....गली/लेन संख्या.......................................मोहल्ला..गांव... ....तहसील..जिला......................................में रह रहे हैं जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी हैं जो भारत–पाकिस्तान के 1947 के युद्ध पश्चात यहां विस्थापित हो गए हैं।

दिनांक :....................................

स्थान : ....

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार

<u>सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप</u>

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (सं.)............... (रैंक)............... (नाम)............... सशस्त्र बलों में अपनी नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि (दिनांक)............... को पूरी करने वाला है।

स्थानः

(कमांडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर)
कार्यालय की मुहर

दिनांकः

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत सिविल पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता

मैं समझता हूँ कि, यदि आवेदन से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर मेरा चयन होता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत मुक्त/सेवानिवृत्त/मुक्त कर दिया गया है और मैं भूतपूर्व सैनिकों (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन नियम, 1979, समय–समय पर संशोधित) के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।

मैं यह भी समझता हूँ कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.08.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014–स्था. (आरक्षण) के अनुसार, यदि मैं किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता हूँ, तो मैं किसी भी बाद की नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता हूँ, बशर्ते कि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, जैसे ही मैं किसी सिविल रोजगार में शामिल होता हूँ, मुझे संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन की तिथिवार जानकारी के बारे में स्व–घोषणा/वचन देना चाहिए, जिसके लिए मैंने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था, उन रिक्तियों के संबंध में जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थानः
दिनांकः

नक्सल/आतंकवाद से प्रभावित जिलों की सूची।

क.सं.	नक्सल/ आतंकवाद से प्रभावित राज्यों के नाम	राज्यों में नक्सल/ आतंकवाद से प्रभावित ज़िलों के नाम	ज़िलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	अलूरी सीतारामा राजू।	01
2.	छतीसगढ़	बस्तर, बिजापुर, दंतेवाड़ा, धमतारी, गरियाबॉध, कान्केर, कोन्डागॉव, महासमंद, नारायणपुर, राजनंदगॉव, मोहला–मानपुर–अंबागढ चौकी, खैरागढ–छुईखदान–गंडई, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली।	15
3.	झारखंड	गिरीडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम।	05
4.	केरला	वायनाड, कन्नुर ।	02
5.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, मांडला एवं डिंडोरी।	03
6.	महाराष्ट्र	गड़चिरोली, गोंदिया।	02
7.	ओडिशा,	बोलान्गीर, कालाहान्डी, कंधमाल, मलकानगिरी, नवरंगपुर, नौपाडा, रायगडा।	07
8.	तेलंगाना	भदराद्री–कोथागुदम एवं मुलुगु।	02
9.	पश्चिम बंगाल	झारग्राम ।	01
		कुल	**38**
10.	अरूणाचल प्रदेश	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
11.	असम	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
12.	जम्मू एवं कश्मीर	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
13.	लद्दाख	उग्रवाद प्रभावित	
14.	मणिपुर	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
15.	मेघालय	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
16.	मिजोरम	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
17.	नागालैंड	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
18.	त्रिपुरा	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
		कुल	**9 राज्य/संघ शासित प्रदेश**

सीबीसी 19113/11/0006/2425